बदहाली

अधिवक्ता ने खाद्य अधिकारी से की शिकायत

होम डिलीवरी मांगने पर गैस एजेंसी कर्मचारी ने दी बुकिंग कैंसिल करने की धमकी

नवभारत न्यूज

परासिया, 28 जुलाई, गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी को लेकर डोंगरा गैस एजेंसी दीघावानी के कर्मचारी की मनमानी सामने आई है।

सिलेंडर घर पहुंचाने से मना कर बुकिंग रद्द करने की धमकी देने और अभद्र व्यवहार के मामले में अधिवक्ता हितेश मालवीय ने 28 जुलाई 2026 को खाद्य आपूर्ति अधिकारी परासिया को लिखित शिकायत सौंपी है।

क्या है पूरा मामला

शिकायत के अनुसार, श्री मालवीय, के पिता के नाम पर पाटिल गैस एजेंसी परासिया का

गैस कनेक्शन है किन्तु पाटिल गैस एजेंसी के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में प्रकरण लंबित होने के चलते परासिया एजेंसी के कुछ उपभोक्ताओं के कनेक्शन डोगरा इण्डेन दीघावानी को अंतरित किये गए है । उक्त मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने दिनांक 25 जुलाई 2026 को गैस सिलेंडर की बुकिंग कराई थी। जिसके संबंध में डोगरा गैस एजेंसी से कर्मचारी का फोन आया। फोन करने वाले कर्मचारी ने आवेदक को भगत सिंह चौक, परासिया आकर सिलेंडर स्वयं लेने का निर्देश दिया।

लेने नहीं आओगे तो बुकिंग कैंसिल : जब आवेदक ने कहा कि उन्हें घर पहुंच सेवा चाहिए, तो कर्मचारी ने साफ मना कर दिया। आरोप है कि कर्मचारी ने कहा अगर सिलेंडर लेने नहीं आओगे तो आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी। आवेदक ने बताया कि वे अधिवक्ता हैं और कोर्ट में व्यस्त रहते हैं, इसलिए घर पर डिलीवरी की सुविधा दें। इस पर कर्मचारी ने और भी अभद्रता करते हुए कहा, आप अधिवक्ता हैं या अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हो, आपको सिलेंडर चाहिए तो लेने आना ही होगा। नहीं तो हम बुकिंग कैंसिल कर देंगे। ज्ञात हो कि मेसर्स डोगरा इण्डेन द्वारा सिलेंडर सप्लाई किये जाने हेतु उपभोक्ताओं को भगत सिंह तिराहा और चील घर के पास बुलाकर लाइन लगवाकर सिलेंडर प्रदान किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । ईधर आपदा को अवसर में बदलते हुए डोंगरा इण्डेन के कर्मचारी उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने आने का दबाव बनाते है और लेने नहीं जाने पर आर्डर केंसिल करने की धमकी देते हैं मजबूरी में उपभोक्ता अपने सारे काम छोड़कर सिलेंडर लेने जाता है।

पहले भी आ चुकी हैं शिकायतें : पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि डोंगरा गैस एजेंसी के खिलाफ पहले भी उपभोक्ताओं से बदतमीजी और जबरदस्ती सिलेंडर लेने बुलाने की शिकायतें मिल चुकी हैं। लेकिन कार्रवाई न होने के कारण एजेंसी कर्मचारियों का व्यवहार नहीं सुधरा है। बल्कि एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा घर पहुंचाने की सुविधा देने के एवज में सिलेंडर के मूल्य से अतिरिक्त रुपयों की मांग की जाती है। मामले को लेकर जब खाद्य आपूर्ति अधिकारी गीत सिंग गेडाम से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि डोंगरा एजेंसी द्वारा सिलेंडर आपूर्ति को लेकर शिकायत मिली है, मामले की जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

एनसीसी कैडेट्स ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किया जनजागरूकता अभियान

नवभारत न्यूज

परासिया, 28 जुलाई, विकासखंड परासिया के सांदीपनि विद्यालय पेंचव्हेली के एनसीसी कैडेट्स ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को क्षय रोग (टीबी) से बचाव और समय पर उपचार के प्रति जागरूक किया।

यह अभियान 24 एमपी बटालियन एनसीसी, छिंदवाड़ा के कमांडिंग ऑफिसर के निर्देशन तथा विद्यालय के प्राचार्य अवधेश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। सेकंड ऑफिसर श्रीमती अरुणा बैरागी ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव, समय पर जांच और उपचार की जानकारी दी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि टीबी के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। अभियान में एनसीसी कैडेट्स भावेश बुनकर, अंजली गुप्ता, गौरवी साहू और एकता साहू सहित कुल 32 कैडेट्स ने सक्रिय सहभागिता निभाई। अभियान का उद्देश्य समाज में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में जनसहभागिता सुनिश्चित करना रहा।

प्रवेश से वंचित छात्रों के लिए सुनहरा अवसर, 31 जुलाई अंतिम तिथि

नवभारत न्यूज

दमुआ, 28 जुलाई, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार सत्र 2026-27 के लिए सीएलसी (कॉलेज लेवल काउंसलिंग) राउंड के अंतर्गत प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। यह जानकारी शासकीय महाविद्यालय दमुआ की प्राचार्य श्रीमती रश्मि दास द्वारा दी गई।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश कैलेंडर के अनुसार सीएलसी राउंड के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जा रही है। विद्यार्थियों के लिए अंतिम अवसर है, जिन्होंने अब तक किसी कारणवश प्रवेश नहीं लिया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी इस अवसर का लाभ उठाकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। समस्त अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित महाविद्यालय में बने प्रवेश हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रवेश प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय कार्यालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

महाविद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाकर अपने उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।

बिछुआ में अवैध सागौन से भरी बोलेरो पिकअप जब्त, तस्कर फरार

नवभारत न्यूज

बिछुआ, 28 जुलाई, बिछुआ वन परिक्षेत्र (सामान्य) की टीम ने मंगलवार तड़के अवैध सागौन की लकड़ी के परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान वाहन चालक एवं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वन विभाग को मंगलवार सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध सागौन की लकड़ी से भरा एक वाहन क्षेत्र से गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने

पावर हाउस के समीप घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया। वन अमले को देखकर चालक और उसका साथी वाहन छोड़कर भाग निकले।

वन विभाग ने मौके से बोलेरो पिकअप क्रमांक एमपी-28-जेडबी-9066 को जब्त कर लिया, जिसमें बड़ी मात्रा में कीमती सागौन की लकड़ी लदी हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन खमरा मार्ग की ओर जा रहा था। हालांकि इस संबंध में वन विभाग की ओर से आधिकारिक पुष्टि किया जाना शेष है। वन विभाग ने वाहन एवं उसमें भरी सागौन की लकड़ी को जब्त कर वन अपराध का प्रकरण दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है तथा वाहन मालिक एवं इस अवैध तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

वन विभाग का कहना है कि अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तम पात्र अभियान के प्रभारियों का हुआ सम्मान

नवभारत न्यूज

अमरवाड़ा, 28 जुलाई।ग्रीष्मकाल में बेजुबान वन्य जीवों,गौवंश एवं पशु-पक्षियों के लिए जल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु गौलक्ष्मी सेवा समिति, अमरवाड़ा द्वारा संचालित उत्तम पात्र अभियान के सफल समापन पर अभियान के प्रभारियों एवं कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया।

परम् पूज्य संत बसंत जी महाराज एवं दिव्यानंद जी महाराज के पावन हस्तों से गुरुदेव के अमरवाड़ा प्रवास के दौरान सम्मान समारोह आयोजित हुआ। अभियान के तहत नगर व जंगल से लगे क्षेत्रों में 108 जल पात्र स्थापित किए गए,जिनमें नियमित रूप से पानी भरकर बेजुबान प्राणियों की प्यास बुझाने की व्यवस्था की गई। लगभग 72,100 की लागत से चले इस अभियान में नगर के 73 से अधिक दानदाताओं का सहयोग मिला। समिति ने अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने वाले अभियान प्रभारी दीपक साहू, अतिशय जैन, मिंटू जैन सहित सभी सामाजिक संगठनों एवं नगरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए जल पात्रों में नियमित पानी भरने की अपील की।

स्वर्णकार समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का हुआ स्वागत

नवभारत न्यूज

सिंगोड़ी, 28 जुलाई, सिंगोड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता और सनातन धर्म के अध्यक्ष एवं शिक्षक पप्पू राव सोनी के छिंदवाड़ा जिला स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष चुने जाने पर सिंगोड़ी में हुआ भव्य स्वागत बधाईयां देने वालों का लगा तांता।

गौरतलब है कि जिला स्वर्णकार समाज के 3 वर्ष पूर्ण होने पर विगत दिनों नई कार्यकारिणी का गठन छिंदवाड़ा स्थित नवनिर्मित भवन पोआमा में हुआ। जिसमें समाज ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए पदाधिकारी को नई नियुक्तियां प्रदान की जिसमें जिला कार्यकारिणी में पप्पू राव सोनी सिंगोड़ी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया।

अध्यक्ष पद को प्राप्त करने के उपरांत श्री सोनी के द्वारा जिले भर के समस्त स्वजातीय बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया। इसी तारतम्य में श्री सोनी के अध्यक्ष बनने पर सिंगोड़ी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उत्साह देखा गया परिजनों बंधु बंधावों द्वारा मिठाई बाटकर एवं पटाखे फोड़ कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। वही पप्पू राव सोनी ने समझ हित के कार्य सामाजिक एकता और सामाजिक बुराइयों को दूर कर समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों के कल्याणयथार्थ हेतु कार्य करने की बात कही। इस दौरान मनोज सिंघई मधुराव सोनी डा उमेश शर्मा पवन राव सोनी सोनू सरसवार योगेश यादव कपिल ठाकुर अखिल सोनी अनमोल सतीजा सफीक मिस्कीनी गगन जैन जाहिद मंसूरी मयूर सोनी धीरज मालवीय केशव पटवा बद्री पटेल मोहित साहू संजय भाऊ कमलेश भूरा सोनी सहित अन्य सामिल थे।

श्री दादाजी धूनीवाले मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा पर्व

छिंदवाड़ा। श्री दादाजी धूनीवाले मंदिर चारफाटक छिंदवाड़ा में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गुरू पूर्णिमा महोत्सव पर्व 29 जुलाई, दिन बुधवार को धूमधाम और परम्परागत रूप से मनाए जाने का निर्णय श्री दादाजी धूनी वाले सेवा समिति के द्वारा लिया गया है । गुरू पूर्णिमा पर्व पर प्रातः 7 बजे श्री दादाजी महाराज का पावन अभिषेक, प्रातः 8.30 बजे प्रातःकालीन आरती, प्रातः 9 बजे से देर रात्रि श्री दादाजी महाराज की इच्छानुसार महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। दोपहर 12 बजे हवन-पूजन, रात्रि 8 बजे महाआरती के पश्चात् महाप्रसाद वितरण के साथ इस वर्ष का गुरू पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा ।

आज गणेश मठ बिछुआ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर्व पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

बिछुआ, 28 जुलाई, बिछुआ नगर के माता मां चौक स्थित चमत्कारी श्री गणेश मठ में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।

गणेश मठ के पीठाधीश्वर महा मंडलेश्वर श्री श्री 1008 डॉ वैभव अलोणी ने बताया की इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर श्री शंभू पंचदशनाम आव्हान अखाड़ा के महामण्डेश्वर स्वामी करूणानंद गिरी महाराज की उपस्थिति में आज दिनांक बुधवार को 10 बजे से श्री अलोणी महाराज सेवा संस्थान बिछुआ के द्वारा नर्मदा उपासक निराहार संत दादा गुरु के आव्हान पर 501 फलदार एवं छायादार पौधें वितरित किए जाएंगे। गुरु पूर्णिमा पर दीक्षा कार्यक्रम समेत विभिन्न कार्यक्रम मठ में आयोजित होंगे।

कार्यालय नगरपालिका परिषद दमुआ, जिला-छिन्दवाड़ा(म .प्र .)

दमुआ-480555 फोन 07160-299095 EMail- cmodamua@mpuban.gov.in

पत्र क्र/ 1577 /न.पा.प/स्व.भा.मि./ 2026 दमुआ दिनांक:- 24/07/2026

:-सार्वजनिक सूचना-:

सार्वजनिक सूचना दिनांक 07.11.2021 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 में राजपत्र के अधिसूचना संख्या 169 द्वारा तारीख 11 मार्च 2021 को संशोधन किया गया है व इसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 कहा गया है। उक्त नियम के बिंदू कमांक 4 के अनुसार दिनांक 30 सितंबर 2021 से 75 माइकोन से कम की मोटाई वाले प्लास्टि पर प्रतिबंधित लगाया गया है। हल्के वनज वाले प्लास्टिक कैरी बैग की वजह से फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइकोन से बढ़ाकर 75 माइकोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइकोन कर दि गई है। जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत निम्नलिखित एकल-उपयोग वाले प्लास्टि वस्तुओं के निमार्ण, आयात, भंडारण, वितरण, बिकी और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। प्लास्टिक की छड़ियों से लैस ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ियां, आइसकीम की छड़ियां, सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन (थर्माकोल) प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू , स्ट्रॉ , ट्रे जैसी कटलरी मिठाई के डिब्बों के चारों ओर लपेटी जाने या पैकिंग करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड ओर लपेटी जाने या पैकिंग करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइकोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर स्टिकर।

मुख्य नगरपालिक अधिकारी
नगर पलिका परिषद दमुआ (म.प्र.)

परासिया में नवीन न्यायालय भवन का लोकार्पण आज शाम

नवभारत न्यूज

परासिया, 28 जुलाई, न्यायिक जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत तहसील परासिया के नवीन न्यायालय भवन का लोकार्पण बुधवार, 29 जुलाई 2026 को शाम 5.30 बजे आयोजित किया जाएगा।

लोकार्पण समारोह में विवेक रूसिया न्यायाधिपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम उनकी अध्यक्षता में संपन्न होगा। इस अवसर पर देवनारायण मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति भी रहेगी। कार्यक्रम आयोजको द्वारा अधिवक्ता संघ को विधिवत आमंत्रण पत्र प्रदान कर आमंत्रित किया गया। आयोजकों ने सभी आमंत्रित अतिथियों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर नवीन न्यायालय भवन के लोकार्पण समारोह की गरिमा बढ़ाने का आग्रह किया है। यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा, सुशांत हुद्दार के निवेदन पर आयोजित किया जा रहा है।

खंडहर में तब्दील हुआ सुर्रेवानी का शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, जर्जर भवन में चल रही स्वास्थ्य सेवाएं

नवभारत न्यूज

बिछुआ, 28 जुलाई, आदिवासी विकासखंड बिछुआ की ग्राम पंचायत सुर्रेवानी स्थित वर्ष 1987 से संचालित शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय आज बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। वर्षों पुराना भवन पूरी तरह जर्जर होकर खंडहर में तब्दील हो गया है, बावजूद इसके औषधालय का संचालन भवन के एक कमरे में किया जा रहा है।

भवन की छत कई स्थानों से टूट चुकी है, दीवारों में गहरी दरारें आ गई हैं और सीमेंट लगातार झड़ रहा है। बरसात के मौसम में पानी टपकने से बचाव के लिए कमरे में प्लास्टिक बांधकर किसी तरह काम चलाया जा रहा है। भवन के अधिकांश हिस्से में कूड़ा-कचरा जमा है, जबकि औषधालय की अलमारियां और अन्य सामग्री भी देखरेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। भवन की बदहाल स्थिति के कारण न तो मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं और न ही स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से संचालित हो पा रही हैं। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों को आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुराने भवन को अनुपयोगी घोषित कर शीघ्र नवीन शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित वातावरण में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर भवन की स्थिति से जिला आयुष विभाग को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बारिश के मौसम में भवन की हालत और अधिक खतरनाक हो गई है। यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

कार्यालय नगरपालिका परिषद दमुआ, जिला-छिन्दवाड़ा(म .प्र .)

दमुआ-480555 फोन 07160-299095 EMail- cmodamua@mpuban.gov.in

पत्र क्र/ 1578 /न.पा.प/स्व.भा.मि./ 2026 दमुआ दिनांक:- 24/07/2026

:- सार्वजनिक सूचना/अपील-:

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D WASTE) प्रबंधन एवं धूल नियंत्रण संबंधी

नगरीय निकाय क्षेत्र के समस्त नागरिकों, भवन निर्माताओं, ठेकेदारों, विकासकर्ताओं एवं कार्यदायी संस्थाओं को सूचित एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए **Construction & Demolition Waste Management Rules 2016** के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।

निर्माण एवं विध्वंस कार्यों के दौरान उड़ने वाली धूल एवं मलबे से आमजन को असुविधा, प्रदूषण तथा यातायात बाधा उत्पन्न होती है। अतः समस्त संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि निर्माण कार्य निम्नानुसार किए जाएँ-

आवश्यक निर्देश:

1. निर्माण स्थल को चारों ओर से टीन शेड/ग्रीन नेट/कपड़े आदि से ढँककर कार्य किया जाए।
2. निर्माण सामग्री जैसे रेत, सीमेंट, मिट्टी एवं मलबा खुले में न रखा जाए तथा उसे ढँककर रखा जाए।
3. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को सड़क, नाली अथवा सार्वजनिक स्थानों पर न फैलाया जाए।
4. धूल नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार नियमित पानी का छिड़काव किया जाए।
5. निर्माण कार्य से उत्पन्न मलबे का पृथक संग्रहण कर अधिकृत स्थान पर ही निस्तारण किया जाए।
6. परिवहन के दौरान मलबा ढँककर ले जाया जाए ताकि सड़क पर धूल/ कचरा न फैले।
7. निर्माण स्थल के आसपास स्वच्छता एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए।

नगरीय निकाय सभी नागरिकों एवं ठेकेदारों से सहयोग की अपेक्षा करता है ताकि स्वच्छ, सुरक्षित एवं प्रदूषणमुक्त शहरी वातावरण बनाए रखा जा सके।

निर्देशों का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्रचलित नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

यह सूचना जनहित में जारी की जाती है।

मुख्य नगरपालिक अधिकारी
नगर पलिका परिषद दमुआ (म.प्र.)

कार्यालय नगरपालिका परिषद दमुआ, जिला-छिन्दवाड़ा(म .प्र .)

दमुआ-480555 फोन 07160-299095 EMail- cmodamua@mpuban.gov.in

पत्र क्र/ 1578 /न.पा.प/स्व.भा.मि./ 2026 दमुआ दिनांक:- 24/07/2026

A

:- अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना -:

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) के पुनः उपयोग संबंधी

नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों, भवन निर्माताओं एवं संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट **(Construction & Demolition Waste-C&D Waste)** का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

निर्माण कार्यों के उपरांत बची हुई सामग्री तथा विध्वंस **(Demolition)** से प्राप्त सामग्री जैसे- मलबा, ईंट, कंकीट, मिट्टी, पत्थर, टाइल्स आदि को खुले में फेंकना, नालियों/सार्वजनिक स्थलों पर डालना अथवा अवैज्ञानिक रूप से निस्तारित करना प्रतिबंधित रहेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त संबंधित ठेकेदार/एजेंसियाँ उक्त सामग्री का अधिकतम पुनः उपयोग निम्न कार्यों में सुनिश्चित करें -

1.निम्न स्तर क्षेत्रों में भराव **(Filling)**कार्य।
2.सड़क/मार्ग के सब-बेस अथवा लेवलिंग कार्य।
3.गड्ढ़ों की भराई एवं भूमि समतलीकरण ।
4.पुनर्चकण योग्य सामग्री का पृथक्करण एवं पुनः उपयोग।
5.अन्य स्वीकृत सार्वजनिक निर्माण कार्यों में उपयोग।

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण स्वच्छता मानकों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप किया जाए।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

मुख्य नगरपालिक अधिकारी
नगर पलिका परिषद दमुआ (म.प्र.)

कार्यवाही

फरार आरोपी को न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल, महिलाओं एवं बालिकाओं के खिलाफ अपराधियों पर पुलिस की सख्त नजर

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

बटकाखापा, 28 जुलाई, थाना बटकाखापा पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बटकाखापा में दर्ज अपराध क्रमांक 90/26 के तहत आरोपी कार्तिक उइके (21 वर्ष),

पिता संतोष उइके, निवासी ग्राम सियाझिर, थाना हर्रई के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 87, 64 (2) (एम), 5 (एल) एवं 6 के अंतर्गत मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नियमानुसार उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त कोई अन्य मूल्यवान वस्तु बरामद नहीं हुई। इसके पश्चात 28 जुलाई 2026 को आरोपी को माननीय न्यायालय हर्रई में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बटकाखापा पुलिस की इस कार्रवाई को महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

थाना प्रभारी अनिल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्रवाई

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी अनिल सिंह राठौड़ एवं थाना बटकाखापा के समस्त पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है।